निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या : 130/2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की **के माह 06/2012 से 12/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक **द्वारा दिनांक 09.01.2017 से 17.01.2017 तक में श्री** शशिकांत पाण्डेय, **लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

भाग-I

1. **परिचयात्मकः इकाई की** विगत लेखापरीक्षा श्री एस.के. जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवमं श्री के.एस. चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी दिनांक 23.06.2012 से 02. 07.2012 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह अगस्त 2007 से मई 2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह जून 2012 से दिसम्बर 2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई द्वारा रूड़की परिक्षेत्र के मरीजों को चिकित्सीय सहायकता प्रदान की जाती है।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2013-14	-	26.22	424.37	424.37	236.57	210.34	-	52.45
2014-15	-	52.45	477.64	477.64	230.56	221.28	-	61.73
2015-16	-	61.73	509.43	509.43	297.97	251.69	-	108.01
2016-17	-	108.01	563.16	412.64	217.48	134.26	150.52	191.23

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित **योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः**

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अधिक्य (-) `	बचत (-) `
2014-15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) **इकाई को बजट आवंटन** उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता **है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई** 'ब' **श्रेणी की है।**

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की **को आच्छादित किया गया।** समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे हैं। **यह निरीक्षण प्रतिवेदन** मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की **की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।** शून्य (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन शून्य (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(vi) **लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।**

भाग 2 ब

प्रस्तर 1 : विभागीय उदासीनता के कारण विगत पांच वर्षों से रू0 28.87 लाख के BNP Analyzer Machine का अकार्यशील रहना।

महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा माह 3/2011 को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, रूड़की को एक BNP Analyzer Machine M/S EM Technologies PVT Ltd. Gaziabad से रू0 28.87 लाख की क्रय कर के दिया गया था, शर्तों के अनुसार उपकरण की स्थापना की तिथि से तीन वर्ष की Warranty Period दी गई थी। अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किसी कारणवश उपकरण यदि खराब हो जाता है, तो फर्म द्वारा 15 दिन के भीतर ठीक करा के देने का प्रावधान था।

उपकरण से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच करने पर यह देखा गया कि मुख्यालय, देहरादून द्वारा चिकित्सालय रूड़की को एक BNP Analyzer Machine दिनांक 26.04.2011 को स्थापित करायी गयी थी। एक वर्ष बाद दिनांक 04/2012 से खराब हो जाने एवं स्पेशलिस्ट के त्याग पत्र देने के कारण विगत पांच वर्षों से उपकरण अकार्यशील था, जिसकी Warranty period समाप्त हो चुकी थी। इकाई से यह पूछा गया की उपकरण को ठीक करने हेतु फर्म एवं मुख्यालय से क्या कोई पत्राचार किया गया है? विभाग ने अपने उत्तर में बताया की पत्राचार किया गया है। चुंकि उपकरण मुख्यालय द्वारा क्रय किया गया है। चिकित्सालय द्वारा उक्त उपकरण की मांग नही की गयी थी। वर्तमान समय में उपकरण की आवश्यकता नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उपकरण को Warranty period समाप्त होने से पहले ठीक करा कर उस को किसी ऐसे चिकित्सालय हस्तान्तरित किया जा सकता था जहां उसकी आवश्यकता थी। अतः विभागीय उदासीनता के कारण विगत पांच वर्षों रू0 28.87 लाख के BNP Analyzer Machine अकार्यशील पड़ी है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के विपरीत निष्प्रयोज्य सामग्रियों का 02 वर्ष के बाद भी निस्तारित न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–V के नियम 260 के अनुसार–Whenever it appears that the articles borne on stock or tools and plant including Motor vehicles are either in excess of the requirement of the department or have become unserviceable and unfit for further use, the matter should immediately be reported to the competent authority who should arrange for inspection of the articles and decide if they should be auctioned.

चिकित्सालय के स्टोर एवं स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया की कुल 47 उपकरणों को दिनांक 15.01.2015 को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था एवं लेखापरीक्षा तिथि तक निस्तारित नहीं किया गया था।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया गया की नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों के विपरीत निष्प्रयोज्य सामग्रियों का 02 वर्ष के बाद भी निस्तारित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : वाहनचालकों द्वारा मरीजों से वसूला गया शुल्क राजकोष में जमा ना किया जाना।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि चिकित्सालय में संचालित एम्बुलेंस यू.ए. 07 पी. 0302, यू.के. 17 जी.ए. 0007 एवं यू.के. 08 जी.ए. 0247 के लिए चिकित्सालय में कार्यरत एम्बुलेस वाहन चालक श्री जितेन्द्र कुमार एवं श्री मनीष कुमार द्वारा मरीजों को घर तक छोड़ने एवं मरीजों को घर से चिकित्सालय तक लाने अथवा किसी अन्य चिकित्सालय तक ले लाने के लिए अनुमन्य किराया, जो कि उपरोक्त वाहन चालकों द्वारा वसूला गया था, चिकित्सालय में अब तक जमा नहीं कराया गया है। धनराशि जमा कराने हेतु चिकित्सालय द्वारा विभिन्न तिथियों को वाहन चालकों को पत्र प्रेषित किये गये थे।

उपरोक्त के संबंध में इकाई से पूछे जाने पर कि वाहन चालकों के पास कितनी धनराशि अवशेष है, इकाई ने अवगत कराया चालकों द्वारा लॉगबुक उपलबध न कराये जाने के कारण धनराशि का सही सही आकलन संभव नहीं है। पुनः इकाई से पूछे जाने पर कि चालकों से धनराशि वसूल किये जाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं। इकाई ने अवगत कराया कि वसूली हेतु पत्राचार किये जा रहे हैं। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई ने अवगत कराया कि चालकों को किराया वसूल करने हतु रसीद एवं एम्बुलेंस के संचालन हेतु ईंधन चिकित्सालय द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तथा चालकों से धनराशि वसूल किये जाने हेतु किसी प्रकार के अनुशासनात्मक कार्यवाही का साक्ष्य भी इकाई द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

अतः वाहन चालकों द्वारा मरीजों से वसूला गया शुल्क राजकोश में जमा न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN प्रस्तर**
35/2012–13	02	02	-
48/2007–08	01	02	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई ने अगवत कराया कि पुराने प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी जायेगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i) एम्बुलेंस से सम्बन्धित लॉग बुक

2. **सतत् अनियमितताएः-** शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र थपलियाल	मु.चि.अधिकारी	01.05.12 से 07.03.16
2	श्री संजय कंसल	मु.चि.अधिकारी	08.03.16 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालयमुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय-महालेखाकर (लेखापरीक्षा) वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरा नगर, उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)